न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 10 / 2022 **GCMS No. 2022/24**

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गुलाराम पुत्र बालूराम कुम्हार उगरपुरा
2. कान्तादेवी मण्डा पत्नी गिरधारीलाल जाट आसपुरा
3. किशनलाल पुत्र बालूराम कुम्हार उगरपुरा
4. गोपाललाल पुत्र नाथूराम कुम्हार उगरपुरा
5. जुगल किशोर पुत्र नाथूराम कुम्हार उगरपुरा
6. दुलीचन्द पुत्र नाथूराम कुम्हार कुचामनसिटी
7. नारायणराम पुत्र बालूराम कुम्हार उगरपुरा
8. पन्नाराम पुत्र बालूराम कुम्हार उगरपुरा
9. भंवरीदेवी पुत्री मांगूराम कुम्हार कुचामनसिटी
10. भुवानाराम पुत्र बालूराम कुम्हार उगरपुरा
11. भागीरथ पुत्र नाथूराम कुम्हार कुचामनसिटी
12. मदनलाल पुत्र मांगूराम कुम्हार कुचामनसिटी
13. मोहम्मद बक्ष पुत्र मो. इस्माईल नीलगर नि. दांता
14. रामचन्द्र पुत्र मांगूराम कुम्हार कुचामनसिटी
15. रामनिवास रणवां पुत्र भैराराम जाट करकेड़ी
16. सन्तोषदेवी पुत्री मांगूराम कुम्हार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 19/5/22

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट–"ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार **ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1129 एवं 1130** में मौके पर ग्रेवल्ड सड़क चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। प्रकरण में संबंधित खातेदारान/अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

खातेदार कान्तादेवी एवं मो. बक्ष द्वारा सहमति प्रदान की गई, खातेदार अप्रार्थी रतनी देवी पत्नी मांगूराम की मृत्यु हो चुकी है जिसक कायम मुकाम पहले से ही रेकार्ड पर है , खातेदार गोपाललाल दुलीचन्द जुगलकिशोर भागीरथ की आरे से जरिये अधिवक्ता अनिल कुमावत के जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त रास्ते के सन्दर्भ में खातेदार किशनलाल वगैरह/ अप्रार्थी बेचानकर्ता ने अप्रार्थी कान्तादेवी को बेचान किया है उसमें

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अपने हिस्से में से रास्ता छोड़ा गया अंकित किया गया है इस प्रकार से अन्य सहखातेदारों ने इस रास्ते के सन्दर्भ में सहमति नही दी इसलिए रास्ते का रकबा हम जवाबकर्ता के हिस्से में से कम नही किया जावे, हमारा रकबा सम्वत 2074–77 की जमाबंदी में अंकित अनुसार है इसलिए रास्ते का रकबा बेचानकर्ता के हिस्से में से छोड़ा गया है इसलिये उसके हिस्से में से रकबा कम करने का आदेश प्रदान करावें, अप्रार्थी किशनलाल की ओर से श्री अनिल कुमावत अधिवक्ता एवं किशनलाल द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया, इसलिए जवाब अवसर बन्द किया गया। शेष खातेदारान/अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य है चूंकि किशनलाल व उसके परिवार द्वारा उक्त खसरान में से बेचान की गई भूमि में रास्ते का अंकन किया गया है जो आज दिन मौके पर चालू है जिसकी पुष्टि उपरोक्त कथन एवं उपलब्ध रेकार्ड से साबित होती है। इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1129 एवं 1130** में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ता संबंधित खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

आदेश आज दिनॉक 19/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन (नागौर)